

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / F-1/824/2021/10-11/ 5932

भोपाल, दिनांक 13-12-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम बण्डीखुर्द के वन कक्ष RF-834 के रकबा 36.734 हैं। वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 8-196/1984-FC (Vol.) दिनांक 16.08.2024

—0—

विषयांकित परियोजना के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु क्र.	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
i	Interpretation through satellite imagery of KML file of 3.296 ha diverted forest land for surface rights revealed that the user agency is utilizing the forest area beyond 3.296 ha as earlier approved for surface rights. The State Govt. shall carry out the field inspection and shall submit a detail report including violation, if any.	भारत सरकार द्वारा कुल व्यपवर्तित वनक्षेत्र 513.296 हेक्टेयर में ही प्रश्नाधीन 3.296 हेक्टेयर वनक्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार ही उपसंगीय निर्माण (Sub Area Office, fan house, service building, incline) आदि निर्मित हैं।
ii	The KML file of 3.296 ha Non-forest land for CA which was proposed against surface utilization has not submitted which needs submission.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 3.296 हेक्टेयर गैर वनभूमि की KML फाईल ऑनलाइन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में KML फाईल की लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
iii	The State Govt. has informed that the 38.302 ha forest land is part of 403.118 ha diverted forest land vide Ministry letter No. 8-125/85-FC Date 13.04.1987 and presently proposed 36.734 ha forest land is part of 513.296 ha diverted forest land vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986. Therefore the complete KML file of the lease/Project area shall be submitted.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है कि खदान के विस्तारीकरण के लिये वर्णित कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर में 38.302 हेक्टेयर वनभूमि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-125/85-fc दिनांक 13.04.1987 के द्वारा स्वीकृत वनभूमि 403.118 हेक्टेयर का अंशभाग है, लेकिन खदान के विस्तारीकरण के लिये प्रस्तावित 36.734 हेक्टेयर वनभूमि 513.296 हेक्टेयर का हिस्सा नहीं है, बल्कि 513.296 हेक्टेयर वनभूमि से लगा हुआ है, जिसके व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है।
iv	The State Govt. has informed that the total area of the project is 514.481 ha. Out of which 488.108 ha is forest land and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Whereas based upon the details submitted by the State Govt. the project area works out to be 942.787 ha. Out of which 916.414 ha is diverted forest land (513.296 ha approved vide Ministry letter	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी गई है कि - 1. परियोजना खदान की सीमा का कुल क्षेत्रफल मात्र 488.108 हेक्टेयर है तथा परियोजना के बाहर निजी भूमि 26.373 हेक्टेयर में उपसंगीय निर्माण परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वनभूमि (488.108 + 26.376) कुल 514.481 हेक्टेयर लेख किया गया

No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986 & 403.118 ha approved vide Ministry letter No 8-125/85-FC Date 13.04.1987) and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Therefore, variation among the project area has been observed which needs clarification.

है। परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रकबा (हेक्टे. में)	वैधानिक स्वरूप	विशेष अभियुक्ति	
i	315.347 (513.296 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	399.545 हेक्टेयर
ii	38.302 (403.118 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	
iii	36.734	वन (आरक्षित)	प्रस्तावित	
iv	9.162	वन (आरक्षित)	अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं	
v	47.934	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	88.563 हेक्टेयर
vi	0.848	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	
vii	0.879	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	
viii	20.432	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
ix	18.470	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
कुल-	488.108		कुल-	488.108 हेक्टेयर

इस प्रकार वास्तविक क्षेत्रफल 488.039 हेक्टेयर के स्थान पर 488.108 हेक्टेयर पढ़ा जावे।

व्यपवर्तित 513.296 हेक्टेयर वनभूमि में से 315.347 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है तथा खदान के विस्तारीकरण हेतु 36.734 हेक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित है।

2. क्रमांक-1 में वर्णित 315.347 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तित वनभूमि 513.296 हेक्टेयर का भाग है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है। उक्त 315.347 हेक्टेयर वनभूमि में से 3.296 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु किया गया है।
3. परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर ही 36.734 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।
4. 26.373 हेक्टेयर निजी भूमि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के बाहर है, जिसमें

		उपसंगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वनभूमि (488.108 हेक्टेयर + 26.373 हेक्टेयर) कुल 514.481 हेक्टेयर लेख किया गया है।
v	The State Govt. may re-check the KML file of 38.302 ha diverted forest land (part of 403.118 ha approved forest land) as some of the areas of the approved forest land (38.302 ha) is still overlapping with the KML file area of 20.432 ha Non-forest land.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि गैर वनभूमि 20.432 हेक्टेयर तथा उपखण्ड 38: 302 हेक्टेयर (व्यपवर्तित 403.118 हेक्टेयर वनभूमि का अंशभाग) की KML फाईल पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। पुनः ऑनलाईन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में KML फाईल की लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
vi	The Mining plan approved in the year 1995 has been submitted wherein the instant proposed area of 36.734 ha has not been found included. Also the land surrender scheduled has not been mentioned in the said mining plan. The State Govt. shall examine the matter and submit a updated Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि सी.बी.ए. (ए.एण्ड.डी.) अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचित 1177.585 हेक्टेयर भूमि में से 513.296 हेक्टेयर व्यपवर्तित वनभूमि है तथा 513.296 हेक्टेयर से लगा हुआ प्रस्तावित 36.734 हेक्टेयर वनक्षेत्र एम.सी.आर. 1960 के तहत अधिसूचित/ नवीनीकृत 986.010 हेक्टेयर का हिस्सा है।
vii	The copy of the land use plan in 1:4000 scale was not found legible and accordingly the state was requested to submit a legible copy of the same. The State Govt. has still not submitted the same which needs submission.	इस बिन्दु के पालन में 1:4000 के स्केल में Land use plan की PDF फाईल ऑनलाईन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
viii	The State Govt. was requested to submit detail/studies to predict the impact of subsidence on vegetation and hydrological regimes in the proposal/project which has not been submitted and same needs submission.	इस बिन्दु के संबंध में वनस्पति और जल विज्ञान व्यवस्था पर तत्समय अवतलन की स्थिति में संयुक्त निरीक्षण पश्चात वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि तथा एन.पी.डी. की राशि का भुगतान किये जाने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी सहमति सहित संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

पृ. क्रमांक / F-1/824/2021/10-11/ ८९३३
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल दक्षिण शहडोल, मध्य प्रदेश।
3. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13-12-24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2024/
प्रति,

5940

शहडोल, दिनांक 25-11-2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश—भोपाल

विषय — वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम—बण्डीखुर्द के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 833 एवं आर.एफ. 834 के रकवा 36.734 हेठो वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017

संदर्भ — वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल का पत्र क्र./माचि./2024/2499
दिनांक 08.11.2024

.☆☆☆.

विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रकरण में ऑनलाईन के माध्यम से महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी। महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर द्वारा बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर हार्डकॉपी वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अतः वांछित जानकारी परिवेश पोर्टल के माध्यम से तथा हार्डकॉपी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

10

(अजय कुमार पाण्डेय)

वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/माचि/2024/

शहडोल दिनांक/2024

प्रतिलिपि —

- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

9-12

स्वीकार

10/11

10

वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited) (Maha Ratna Company)

साउथ ईस्टर्न कॉल फील्ड्स लिमिटेड

Office of the General Manager, Sohagpur Area

महाप्रबंधक सोहागपुर क्षेत्र

P.O. Dhanpuri, Distt. Shahdol(M.P.), Pin 484114

Tel : (07652) 250302 Fax : 250882

Regd. Office : Seepat Road, P.B. No.60 Bilaspur 495001 (C.G.)



शाखा :- भूमि
दिनांक :- 21/10/2024
मुद्रा No. SECL/SGP/SUR/2024/ 152
त० म० आ०

Dated : 21/10/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदया

वनमण्डल दक्षिण शहडोल


विषय :- एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बंगवार भूमिगत खदान हेतु 36.734 हेक्टर वन भूमि के व्यापर्वतन बावत्।

संदर्भ :-

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./ दिनांक 05.09.2024 (As per Online desired information)
- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल का पत्र क्र. मा.चि./ 2024/ 8694 दिनांक 21.10.2024

महोदया

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



भवदीय

१८०
२३.१०.२४
महाप्रबंधक

एसईसीएल, सोहागपुर क्षेत्र

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 2499

शहडोल, दिनांक: ०८/११/२०२४

प्रति,

✓ वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल

विषय:- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम-बण्डीखुर्द के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 833 एवं आर.एफ. 834 के रकवा 36.734 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के व्यपर्वतन का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017.

संदर्भ:-
1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.08.2024.
2- महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर का पत्र क्रमांक/152 दिनांक 24.10.2024.

-☆☆☆-

निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदक संस्थान से बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक-02 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक संस्थान से प्राप्त बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक की जानकारी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(अद्वापद्म)

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल

शहडोल, दिनांक: /11/2024

पृष्ठ क्रमांक/मा.चि./2024/

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजी।



वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
क्रमांक 01 से 08 तक

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नर्द दिल्ली का पत्र क्र. दिनांक 16.08.2024 के अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है।

(As per Online desired information)

i	Interpretation through satellite imagery of KML file of 3.296 ha diverted forest land for surface rights revealed that the user agency is utilizing the forest area beyond 3.296 ha as earlier approved for surface rights. The State Govt. shall carry out the field inspection and shall submit a detail report including violation, if any.	भारत सरकार के द्वारा कुल व्यपवर्तित वन क्षेत्र 513.296 हेक्टेन में ही प्रश्नाधीन 3.296 हेक्टेन वन क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें अनुमोदित माईन प्लान के अनुरूप ही उपसंगीय निर्माण (Sub Area Office, fan house, service building, incline) आदि निर्मित हैं।																																															
ii	The KML file of 3.296 ha Non-forest land for CA which was proposed against surface utilization has not submitted which needs submission.	वन विभाग से सम्बंधित है।																																															
iii	The State Govt. has informed that the 38.302 ha forest land is part of 403.118 ha diverted forest land vide Ministry letter No. 8-125/85-FC Date 13.04.1987 and presently proposed 36.734 ha forest land is part of 513.296 ha diverted forest land vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986. Therefore the complete KML file of the lease/Project area shall be submitted.	खदान के विस्तारीकरण के लिये वर्णित कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेन में 38.302 हेक्टेन वन भूमि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नर्द दिल्ली के पत्र क्र. 8-125/ 85-fc dtd. 13.04.1987 के द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि 403.118 हेक्टेन का अंशभाग है, लेकिन खदान के विस्तारीकरण के लिये प्रस्तावित 36.734 हेक्टेन वन भूमि 513.296 हेक्टेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि 513.296 हेक्टेन वन भूमि से लगा हुआ है, जिसके व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेन के अन्दर है।																																															
iv	The State Govt. has informed that the total area of the project is 514.481 ha. Out of which 488.108 ha is forest land and 26.373 ha is Govt Revenue land/Private land. Whereas based upon the details submitted by the State Govt. the project area works out to be 942.787 ha. Out of which 916.414 ha is diverted forest land (513.296 ha approved vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986 & 403.118 ha approved vide Ministry letter No 8-125/85-FC Date 13.04.1987) and 26.373 ha is Govt Revenue land/Private land. Therefore, variation among the project area has been observed which needs clarification.	<p>1). परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल मात्र 488.108 हेक्टेन है तथा परियोजना के बाहर निजी भूमि 26.373 हेक्टेन में उप-संगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़ कर खनन योजना में वन एवं गैर वन भूमि (488.108 + 26.373) कुल 514.481 हेक्टेन लेख किया गया है। परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेन का वर्णन निम्नानुसार है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>रकबा (हेक्टेन)</th> <th>वैधानिक स्वरूप</th> <th>विशेष अभियुक्ति</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>315.347 (513.296 का भाग)</td> <td>वन (आरक्षित)</td> <td>व्यपवर्तित</td> <td rowspan="9">399.545 Ha.</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>38.302 (403.118 का भाग)</td> <td>वन (आरक्षित)</td> <td>व्यपवर्तित</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>36.734</td> <td>वन (आरक्षित)</td> <td>प्रस्तावित</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>9.162</td> <td>वन (आरक्षित)</td> <td>अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं</td> </tr> <tr> <td>(v)</td> <td>47.934</td> <td>शासकीय + निजी</td> <td>अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं</td> </tr> <tr> <td>(vi)</td> <td>0.848</td> <td>शासकीय + निजी</td> <td>अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं</td> </tr> <tr> <td>(vii)</td> <td>0.879</td> <td>शासकीय + निजी</td> <td>अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं</td> </tr> <tr> <td>(viii)</td> <td>20.432</td> <td>शासकीय + निजी</td> <td>अधिग्रहीत</td> </tr> <tr> <td>(ix)</td> <td>18.470</td> <td>शासकीय + निजी</td> <td>अधिग्रहीत</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>488.108</td> <td></td> <td>कुल</td> <td>488.108 Ha.</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	रकबा (हेक्टेन)	वैधानिक स्वरूप	विशेष अभियुक्ति		(i)	315.347 (513.296 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	399.545 Ha.	(ii)	38.302 (403.118 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	(iii)	36.734	वन (आरक्षित)	प्रस्तावित	(iv)	9.162	वन (आरक्षित)	अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं	(v)	47.934	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	(vi)	0.848	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	(vii)	0.879	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	(viii)	20.432	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	(ix)	18.470	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	कुल	488.108		कुल	488.108 Ha.
क्र.	रकबा (हेक्टेन)	वैधानिक स्वरूप	विशेष अभियुक्ति																																														
(i)	315.347 (513.296 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	399.545 Ha.																																													
(ii)	38.302 (403.118 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित																																														
(iii)	36.734	वन (आरक्षित)	प्रस्तावित																																														
(iv)	9.162	वन (आरक्षित)	अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं																																														
(v)	47.934	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं																																														
(vi)	0.848	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं																																														
(vii)	0.879	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं																																														
(viii)	20.432	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत																																														
(ix)	18.470	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत																																														
कुल	488.108		कुल	488.108 Ha.																																													

	<p>इस प्रकार वास्तविक क्षेत्रफल 488.039 हे० के स्थान पर 488.108 हे० पढ़ा जावे।</p> <p>व्यपवर्तित 513.296 हे० वन भूमि में से 315.347 हे० वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर है तथा खदान के विस्तारीकरण हेतु 36.734 हे० वनभूमि प्रस्तावित है।</p> <p>(2). क्र. 01 में वर्णित 315.347 हे० वन भूमि, व्यपवर्तित वन भूमि 513.296 हे० का भाग है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर है। उक्त 315.347 हे० वनभूमि में से 3.296 हे० वन भूमि का उपयोग उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु किया गया है।</p> <p>(3). परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर ही 36.734 हे० वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।</p> <p>(4). 26.373 हे० निजी भूमि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के बाहर है, जिसमें उपसंगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वन भूमि (488.108 हे० + 26.373 हे०) कुल 514.481 हे० लेख किया गया है।</p>
v	The State Govt. may re-check the KML file of 38.302 ha diverted forest land (part of 403.118 ha approved forest land) as some of the areas of the approved forest land (38.302 ha) is still overlapping with the KML file area of 20.432 ha Non-forest land.
vi	The Mining plan approved in the year 1995 has been submitted wherein the instant proposed area of 36.734 ha has not been found included. Also the land surrender scheduled has not been mentioned in the said mining plan. The State Govt. shall examine the matter and submit a updated Miningplan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.
vii	The copy of the land use plan in 1:4000 scale was not found legible and accordingly the state was requested to submit a legible copy of the same. The State Govt. has still not submitted the same which needs submission.
viii	The State Govt. was requested to submit detail/studies to predict the impactof subsidence on vegetation and hydrological regimes in the proposal/project which has not been submitted and same needs submission.

D&O
महाप्रबंधक

एसईसीएल, सोहागपुर क्षेत्र

ग्राम

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपर्युक्त ४१०५ में प्राप्तान्तर्थ ८

भारत सरकार
कोयला विभाग

गढ़ फिल्मी, तारीख 19-8-1992.

अधिकृतना

का०४०
केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक देवि श्रीजनि और विलाला
अधिनियम, 1957 § 1957 वा 20४ की धारा 7 की उपधारा ४१०५ के अधीन
भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपर्युक्त ४१०५ तारीख 12 जनवरी, 1991
प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा विभाग की अधिकृतना
का बा० ला० ८० ८० तारीख 20 दिसम्बर, 1990 द्वारा उस अधिकृतना से सलग
बनुसूची में विनिर्दिष्ट परिवेश की भूमि गै. जिसका माप 2909.812 एकड़
हैलगभग ११७७.५८५ हेक्टर श्रीलगभग है, के अनियंत्रे के घन, छदान, बोर
करने, उनकी खुदाई करने और तत्त्वात् करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य
करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने गांधा की सूचना दी
दी।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ८ के अनुसरण में
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

वे और केन्द्रीय सरकार का प्राप्ति रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्
और मध्य पूर्वोत्तर सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि
इससे सलग अनुसूची में विनियम 2909.812 एकड़ श्रीलगभग ११७७.५८५ हेक्टर
वाली भूमि गै. अनियंत्रे के घन, छदान, बोर करने, उनकी खुदाई
श्रीलगभग ११७७.५८५ माप वाली भूमि गै. अनियंत्रे के घन, छदान, बोर करने, उनकी खुदाई
करने और तत्त्वात् करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने
के अधिकारों को अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ९ की उपधारा ४१०५
द्वारा प्रदत्त 'एनियतियों' का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे सलग
अनुसूची में विनियम 2909.812 एकड़ श्रीलगभग ११७७.५८५ हेक्टर श्रीलगभग ११७७.५८५ माप
वाली भूमि गै. अनियंत्रे के घन, छदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और
अनियंत्रे के तत्त्वात् करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने
के अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

....

इस अधिकारका के अधीन आमे वाले क्षेत्र के स० पर इसी एलवली एम
पीएसी सी एम डॉएस ई बार/गुडी/८७ ताती २ यार्ड, १९१ वाले रेगिस्टर का
निरीक्षण करकरा, राज्योत्तम फूद्दम पुदेशी के कायाधित में या कोष्ठप निर्यक,
।, काहिसिल राहस स्ट्रीट कलकत्ता के लालापुर में, या दिल्ली पूरी, कोल-
फील्ड्स' निर्मिटेड राजस्थ अनुभागी सीपत रोड, निलामार-४९५००। फूद्दम
पुदेशी के वक्तव्यालय में किया जा सकता है।

अनुशूदी

दिग्वार ब्लॉक,

सोहागपुर कोथला क्षेत्र

जिला - शहडोल फूद्दम पुदेशी

खन अधिकार

राजस्थ भूमि.

क्र०	ग्राम का स० नाम	साधारण संख्या	पटकारी हलका रुचिया	रहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणिया
१.	धनपुरी	४७४	९८	सोहागपुर	शहडोल	१२०.२८७	भाग
२.	सरझिकापा	९४०	९८	सोहागपुर	शहडोल	३१.०२३	भाग
३.	करकटी	७२	९९	सोहागपुर	शहडोल	१८०.०१६	भाग
४.	देवगवा	४५८	९९	सोहागपुर	शहडोल	११.७५०	भाग
५.	देवगई	४५५	६०	सोहागपुर	शहडोल	३५.७३९	भाग
६.	बिगवार	६८३	६०	सोहागपुर	शहडोल	२००.८९३	भाग
७.	विम्होदी	७२४	६५	सोहागपुर	शहडोल	८४.५८।	भाग

योग : ६६४.२८९ हैक्टर, फूलगभगी

तन भूमि

कु ⁰ सं ⁰	क्षेत्रफल लि ⁰	जि ⁰	प्र ⁰	दिन ईकारो ⁰ गि ⁰	प्रदानामित्रा ⁰
1.	60	४पी४	दुड़र	दिक्षिणी ४४ठोत	42.265 भाग
2.	71	४पी४	दुड़र	दिक्षिणी ४४ठोत	50.300 भाग
3.	72	४पी४	दुड़र	दिक्षिणी ४४ठोत	140.149 भाग
4.	73	४पी४	दुड़र	दिक्षिणी ४४ठोत	272.502 भाग

धोग : 513.296 ईकार ४लाख 14

कुल धोग : 1177.585 ईकार ४लाखभाग
पा 2909.812 एकड़ ४लाखभाग

ग्राम धनपुरी ४भाग में अंजिति किए जाने वाले प्लाट संख्याएँ

1135 ४भाग, 1139 ४भाग, 1140 ४भाग, 1439 ४भाग, 1443 ४भाग,
1444 ४भाग, 1445 ४भाग, 1447 ४भाग, 1448 ४भाग, 1449 ४भाग,
1450 ४भाग, 1464 ४भाग, 1465 ४भाग, 1466 ४भाग, 1467 ४भाग,
1468 से 1470, 1471 ४भाग, 1472 ४भाग, 1473 से 1478, 1479 ४भाग,
1480 ४भाग, 1481 ४भाग, 1482 ४भाग, 1483 ४भाग, 1484 से 1486,
1487 ४भाग, 1488, 1489 ४भाग, 1490 ४भाग, 1493 ४भाग, 1532 ४भाग,
1533 ४भाग, 1534 ४भाग, 1535 ४भाग, 1536 से 1561, 1563 से 1567,
1568 ४भाग, 1569-1575, 1576 ४भाग, 1577 ४भाग, 1578 ४भाग,
1579 से 1583, 1584 ४भाग, 1722 ४भाग, 1724 ४भाग, 1725,
1726 ४भाग, 1727 ४भाग, 1733 ४भाग, 1734 ४भाग, 1735 से 1742,
1743 ४भाग, 1744, 1745 ४भाग, 1746 ४भाग, 1747 ४भाग, 1748 से
1769, 1772, 1773, 1774, 1775 ४भाग, 1776 ४भाग, 1787 ४भाग,
1788 ४भाग, 1789 से 1800, 1802 ४भाग, 1838 ४भाग, 1967 से 1971.

ग्राम सरकारा ४भाग में अंजिति किए जाने वाले प्लाट संख्याएँ

750 ४भाग, 751, 752, 753 ४भाग, 754 ४भाग, 755 से 758,
759 ४भाग, 760, 761, 778 ४भाग, 779, 780, 781 ४भाग, 782 ४भाग,
783 ४भाग, 844 ४भाग, 845 ४भाग, 846 से 848, 849 ४भाग, 850 ४भाग.
...../-

866 भाग४, 857 से 860, 860 भाग४, 861 भाग५, 863 भाग५, 864 भाग५.
866 भाग४, 867 से 874, 875 भाग५, 876 भाग५, 882 से
903, 904, 907.

३. युग्म करकटी भाग४ में अंजलि दिए जाने वाले प्लाट रेडार

254 भाग४, 255 भाग४, 274 भाग४, 275 भाग४, 276 भाग४,
291 भाग४, 292 भाग४, 293 भाग४, 294 से 304, 305 भाग४, 306 भाग४,
307 भाग४, 308 भाग४, 309 भाग४, 310 से 335, 336 भाग४, 337 भाग४,
342 भाग४, 343 भाग४, 344, 345 भाग४, 355 भाग४, 356 से 359,
360 भाग४, 361 से 431, 432 भाग४, 433 भाग४, 434, 435 भाग४,
437 भाग४, 438 से 444, 445 भाग४, 446 भाग४, 447 भाग४, 448 से
468, 469 भाग४, 470, 471 भाग४, 472 भाग४, 474 भाग४, 475, 476,
477 भाग४, 505 भाग४, 506 भाग४, 507 भाग४, 508 भाग४, 515 भाग४,
516 भाग४, 517, 518, 519 भाग४, 520 भाग४, 522 भाग४, 529 भाग४,
530 से 534, 535 भाग४, 536, 537, 538 भाग४, 539 भाग४, 540 भाग४,
541 से 755, 756 भाग४, 757 भाग४, 760 भाग४, 761 से 764, 767.

४. युग्म देवगवा भाग४ में अंजलि किए जाने वाले प्लाट रेडार

18, 20 भाग४, 21 भाग४, 22 भाग४, 23 से 29, 31 भाग४, 31 भाग४,
32 भाग४, 33 भाग४, 34 से 37, 38 भाग४, 39 भाग४, 40 भाग४, 41,
42 भाग४, 43 भाग४, 44 भाग४, 69 भाग४, 71 भाग४, 72 भाग४, 73 भाग४,
74 भाग४, 75, 76, 77 भाग४.

५. युग्म देवगद्ध भाग४ में अंजलि दिए जाने वाले प्लाट रेडार

1, 2, 3 भाग४, 4 से 49, 50 भाग४, 59 भाग४, 60 भाग४, 61 भाग४,
62 भाग४, 63 भाग४, 70 भाग४, 71 से 74 भाग४, 75 भाग४, 76 भाग४.

६. युग्म देवगवा भाग४ से अंजलि दिए जाने वाले प्लाट रेडार

1 से 118, 120 से 157, 159 भाग४, 160 भाग४, 160 से
225, 234 भाग४, 235 से 295, 297 से 305, 306 भाग४, 307 भाग४,
291 भाग४, 295 भाग४, 311 भाग४, 313 भाग४, 13/322, 16/323, 28/324, 14/325, 18/326,
19/327, 329 से 331 :-

७. ग्राम विम्होरी भाग में अंजनि द्वारे जाने वाले प्लाट संख्याएँ :

338भाग०, 34 से 37, 42 से 48, 49भाग०, 50भाग०, 52भाग०,
60भाग०, 61भाग०, 62 से 70, 71भाग०, 72भाग०, 79, 74,
75भाग०, 76भाग०, 79भाग०, 85भाग०, 86भाग०, 87 से 100,
101भाग०, 102 से 128, 129भाग०, 155भाग०, 156 से 176,
177भाग०, 178, 179, 180भाग०, 101भाग०, 371भाग०, 373भाग०,
374भाग०, 375, 376, 377भाग०, 378भाग०, 379भाग०, 380 से
404, 406 से 425, 520भाग०, 521 से 526, 527भाग०, 540भाग०,
549भाग०, 550, 551, 553, 554भाग०, 555भाग०, 556भाग०,
557भाग०.

तीव्रा वर्णन :

क - ष :

रेखा, ग्राम धापुरी में लिन्दु "क" से आरम्भ होती है और प्लाट से छाया 1445, 1444, 1448, 1447, 1471, 1472 से होकर बन कम्पाटेट से 72 अंचल से होकर जाती है तथा प्लाट से 1838 से होकर बन कम्पाटेट से 72 अंचल से होकर प्लाट से 1802 से होकर, बन कम्पाटेट से 72 अंचल से होकर, प्लाट से 1788, 1787, 1776, 1775 से होकर जाती है और लिन्दु "ष" पर प्रियती है।

अ - ग

रेखा, ग्राम बिगार में प्लाट से 159, 158, 162 से होकर जाती है और तब बन कम्पाटेट से 72 अंचल, 73 अंचल से होकर जाती है और तब ग्राम विम्होरी में प्रोग करती है और प्लाट से 85, 86, 101, 75, 79, 75 से होकर जाती है और लिन्दु "ग" पर प्रियती है।

ज-गा-घ

रेखा, ग्राम विम्होरी में, प्लाट से 75, 76, 72, 71, 60, 61, 52, 50, 49, 33 से होकर जाती है और तब प्लाट से 49, 36, 37, 38 से होकर जाती है और तब प्लाट से 37, 42, 527 की पूरी लापा से होकर और तब प्लाट से 527, 549, 548 से होकर जाती है और तब प्लाट से 551, 553 की पूरी सीधा से और प्लाट से 554, 555, 556, 557 से होकर जाती है और लिन्दु "घ" पर प्रियती है।

...../-

घ-घा-ड़-

रेखा, प्लाट नो 520 से होकर जाती है और प्लाट नो 425, 406, 404 की दक्षिणी सीमा से होकर जाती है और तब प्लाट नो 371, 373, 374, 377, 378, 379, ४१, ४१, ५५, १२९ से होकर और प्लाट नो 128, 123, 111, 108 की पश्चिमी सीमा से होकर और प्लाट नो 104, 105, 106, 94, 93, ९२ की दक्षिणी सीमा से होकर और तब प्लाट नो ९२, ९१, ९०, ८९ की पश्चिमी सीमा से होकर बन कम्पाटमेट नो ७३-II से होकर जाती है और ग्राम दग्गवार में पुरेण करती है और बिन्दु "ठ" पर लिखती है ।

र्ह-र्ह-इ2-च रेखा, बन कम्पाटमेट नो ७३-II, ७३-IV से होकर और तब प्लाट नो 266, 302, 305, 313 की पूरी सीमा से होकर और तब ग्राम दग्गवार के प्लाट नो 313, 311, 306, 307, 296, 287, 290, 291, 290, 234 से होकर और तब नो ३, ५०, ६०, ६१, ५९, ६२, ६३, ७०, ७४, ७५, ७६ से होकर ग्राम देवगता में जाती है और प्लाट नो ३९, ४०, ७७, ७४, ७३ से होकर ग्राम देवगता में पुरेण करती है और ग्राम देवगता में बिन्दु "च" पर लिखती है ।

च - छ

रेखा, ग्राम देवगता में प्लाट नो ६९, ७२, ७१, ४२, ४४, ४३, ३३, ३२, ३१, ३० से होकर जाती है और तब बन कम्पाटमेट नो ६० IV-II से होकर और तत्पारचात् प्लाट नो २०, २१, २२ से होकर जाती है और ग्राम कश्कटी में पुरेण करती है और प्लाट नो ७६०, ७५७, ७५६ से होकर जाती है और तब बन कम्पाटमेट नो ६० IV-II से होकर और प्लाट नो ३५५, ३६० से होकर और प्लाट नो ३५९ की पश्चिमी सीमा से होकर और प्लाट नो ३६०, ३४५, ३४२, ३३६, २९२, २९१, २९३, २७६, २७५, २७४, ३०५, ३०६, ३०८, ३०७, ४६९, ४७१, २५५, २५४ से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर लिखती है ।

छ - क

रेखा, ग्राम करकटी में प्लाट सं 254, 472, 477, 447, 446, 445, 437, 435, 433, 505, 506, 507, 508, 515, 516, 519, 520, 522, 529, 535, 538, 540, 539 से दोकर जाती है और ग्राम सरकारा में पुत्री करती है और प्लाट सं 844, 845, 849, 850, 856, 860, 881, 861, 863, 864, 875, 866, 783, 782, 781, 778, 759, 761, 750 से दोकर जाती है और लग ग्राम धनपुरी में पुत्री करती है और प्लाट सं 1747, 1746, 1745, 1743, 1722, 1724, 1727, 1726, 1734, 1733, 1576, 1577, 1578, 1584, 1535, 1534, 1533, 1532, 1487, 1498, 1489, 1490, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1135, 1139, 1140, 1467, 1466, 1465, 1464, 1460, 1450, 1449, 1439, 1443, 1445 से दोकर जाती है और गारम्भिक निन्दु "क" पर बिहती है।

॥ नौ० ली० राव ॥
आर अचिवा, भारत सरकार
रा० 43015/9/90-एल-एस-डब्ल्यू-

रेखा में

प्रदिप्ति फूलनीकीं,
भारत सरकार पुण्याचारा,
प्रिण रोड, गांधापुरी,
नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक ४।३।२०१९

क्रमांक:- एफ ३-२/२०१९/१२/१ :- मेरसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा सोहागपुर एरिया जिला शहडोल के ग्राम बंगवार, सिलपरी, देवहरा एवं बम्हौरी के कुल रक्का ८७०.७५७ हेक्टेयर (२१५१.६९ एकड़) क्षेत्र पर खनिपट्टा के नवकरण का आवेदन दिनांक ०९.११.२०१४ को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नवकरण आवेदन के संबंध में भारत सरकार को खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५७ की धारा ८(३) के तहत भारत सरकार को अनुमोदन हेतु दिनांक २९.०८.२०१८ को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक १३०१६/५/२०१८/पी.सी.ए. दिनांक २६.११.२०१८ से अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५७ के नियम ५(२)(बी) के तहत अनुमोदित खनन योजना तथा माईन क्लोजर प्लान / वन अनुमति (यदि आवश्यक हो) तथा पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करने पर खनिपट्टा के नवकरण में आवंटित करने के जिर्देश दिये गये।

आवेदक कंपनी द्वारा पत्र दिनांक २५.१२.२०१८ से माईनिंग प्लान, माईन क्लोजर प्लान तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत की गई।

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन तथा आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन खनिपट्टा नवकरण में स्वीकृत किया जाता है:-

1. आवेदक का नाम मेरसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
2. खनिज कोयला
3. अवधि २० वर्ष (दिनांक २८.११.२०१५ से दिनांक २७.११.२०३५ तक)
4. क्षेत्र जिला शहडोल,
5. रक्का ८७०.७५७ हेक्टेयर (२१५१.६९ एकड़) ग्राम बंगवार, सिलपरी, देवहरा एवं बम्हौरी, सोहागपुर एरिया
6. रॉयल्टी / अनिवार्य भाटक नियमानुसार देय राशि का भुगतान करना होगा।
7. पर्यावरण अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अनुमति में दर्शित शर्तों का पालन करना होगा।
8. वन संरक्षण इस अधिनियम का पालन करना होगा।
अधिनियम, १९८०
9. खनिज बकाया आवेदक के ऊपर कोई खनिज बकाया नहीं होना चाहिये।
10. खनिज नियम खनन हेतु लागू समस्त अधिनियम / नियम का पालन करना होगा।

13.३.१९
मेरसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
(म.म.)

उपरोक्त शर्तें मान्य होने पर इनि रियायत नियम, 1960 के नियम 31 के तहत निर्धारित प्रारूप में 06 माह की अवधि में नवकरण अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा। निष्पादित अनुबंध का नियमानुसार रजिस्ट्री कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि, आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश कुमार कोल)

अवर सचिव

मोप्र० शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक:- ४/३/२०१९

पृष्ठ. क्रमांक:- एफ 3-2/2019/12/1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 13016/5/2018/पी.सी.ए. दिनांक 26.11.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
2. महा निदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो. धनबाद, जिला-धनबाद, हारखण्ड, पिन-826001.
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला - शहडोल (मोप्र०)।
5. मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सोहागपुर एरिया, पो.आ. धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
मोप्र० शासन, खनिज साधन विभाग